संख्या-21/2018/1332/60-3-2018-48(सा0)/16टीसी

प्रेषक,

अजय कुमार सिंह,
संयुक्त सचिव,
उ0प्र0 शासन।

सेवा में,

निदेशक,
महिला कल्याण,
उ0प्र0, लखनऊ।

महिला एवं बाल विकास अनुभाग-3 लखनऊःदिनांकः 06 अगस्त,2018

विषयः-वन स्टाप सेन्टर के पदों पर भर्ती किये जाने हेतु प्लेसमेन्ट एजेन्सी के बिलों के भुगतान के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक अपने पत्र संख्या-446/निदे0म0क0/अनुदान/2018-19, दिनांक 25.07.2018 का कृपया सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें।

2. इस सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि वित्तीय वर्ष 2018-19 में वन स्टाप सेन्टर के पदों पर भर्ती किये जाने हेतु प्लेसमेन्ट एजेन्सी, लखनऊ विश्वविद्यालय के बिलों के भुगतान हेतु रू0-3,55,458/- (रूपये तीन लाख पचपन हजार चार सौ अट्ठावन मात्र) की धनराशि स्वीकृत किये जाने की निम्नलिखित शर्तों एवं प्रतिबन्धों के अधीन राज्यपाल महोदय सहर्ष अनुमति प्रदान करते हैः-

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

(1) महिला एवं बाल विकास अनुभाग-1 के शासनादेश संख्या-834/60-1-2018, दिनांक 19.04.2018 द्वारा वित्तीय वर्ष 2018-19 में राजस्व एवं पूँजीगत पक्ष की समेकित वित्तीय स्वीकृतियॉ निर्गत की गयी हैं। उक्त शासनादेश के संलग्नक के क्रमांक-24 में रानी लक्ष्मीबाई आशा ज्योति केन्द्र के संचालन हेतु प्रावधानित बजट धनराशि रू0-500.00 लाख की धनराशि स्वीकृति कर निदेशक के निवर्तन पर रखी गयी है। इस स्वीकृत धनराशि के सापेक्ष प्रश्नगत प्रयोजन हेतु निर्दिष्ट धनराशि अवमुक्त कर व्यय की जायेगी।

(2) स्वीकृत की जा रही धनराशि कोषागार से आहरित कर बिलों के सत्यापन पश्चात प्लेसमेन्ट एजेन्सी, लखनऊ विश्वविद्यालय को उपलब्ध करायी जायेगी।

(3) स्वीकृत धनराशि का उपभोग किसी भी दशा में अन्य किसी योजना/नई मदों के लिये नहीं किया जायेगा।

3. इस निमित्त होने वाला व्यय वर्तमान वित्तीय वर्ष 2018-19 के आय-व्ययक के अनुदान संख्या-49 के अन्तर्गत लेखाशीर्षक-"2235-सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण-02-समाज कल्याण-103-महिला कल्याण-12-रानी लक्ष्मीबाई आशा ज्योति केन्द्र का संचालन-42-अन्य व्यय" के नामे डाला जायेगा।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

4. यह आदेश वित्त विभाग के कार्यालय ज्ञाप संख्या-1/2018/बी-1-375/10-2018-231/2018/ई-4-दस-2018, दिनांक 30.03.2018 के अन्तर्गत निर्गत किये जा रहे हैं।

भवदीय,

(अजय कुमार सिंह)
संयुक्त सचिव।

संख्या-1332 (1)/60-3-2018 तद्दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः-

1- महालेखाकार, उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद।
2- मुख्य कोषाधिकारी, जवाहर भवन, लखनऊ।
3- प्लेसमेन्ट एजेन्सी, लखनऊ विश्वविद्यालय, लखनऊ।
4- मुख्य वित्त एवं लेखाधिकारी, निदेशालय, महिला कल्याण, उ0प्र0, लखनऊ।
5- वित्त (व्यय नियंत्रण) अनुभाग-4
6- गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(सुभाष चन्द्र)
उप सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।